



2026:AHC:53970

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 1390 वर्ष 2026

अतुल सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अदिति श्रीवास्तव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अदिति श्रीवास्तव, विपक्षी पक्ष संख्या 2/सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री राजीव कुमार दुबे की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष कुमार गुप्ता और विपक्षी पार्टी संख्या 1 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया ।

2. यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वाद संख्या 15977/2021 (राज्य बनाम अतुल सिंह), मुकदमा अपराध संख्या 103/2020 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465 और सूचना प्राद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत पुलिस स्टेशन मेहदावल, जिला संत कबीर नगर में दर्ज किया गया है, जो सिविल जज (एस.डी.) एफ.टी.सी./अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर की अदालत में लंबित है, पक्षों के बीच दिनांक 22.12.2025 को हुए समझौते के आधार पर संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक और विपक्षी पक्ष संख्या 2/सूचनाकर्ता ने 22.12.2025 को समझौता कर लिया था और इस समझौते का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा 10.02.2026 को इस न्यायालय के दिनांक 19.01.2026 के आदेश के अनुसार किया गया था। सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 10.02.2026 को संबंधित न्यायालय द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भेजी गई थी, जो अभिलेख में है। यह भी निवेदन किया गया है कि दिनांक 22.12.2025 के उक्त समझौते और संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2026 के आदेश के सत्यापन के मद्देनजर, आवेदक के विरुद्ध उपरोक्त मामले की कार्यवाही रद्द की जाए।

4. आगे यह तर्क दिया गया है कि उक्त समझौते के मद्देनजर, अवर न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों **बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2003(4) एससीसी 675**, और **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एससीसी 303** के आलोक में रद्द कर दिया जाए।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के **नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466**, **योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य (2014) 9 एससीसी 653** और **परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017) 9 एससीसी 641** के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि आवेदक और विपक्षी पार्टी संख्या 2/सूचनाकर्ता ने आपसी समझौते के माध्यम से अपने मतभेद सुलझा लिए हैं और इसलिए विपक्षी पार्टी संख्या 2/सूचनाकर्ता आवेदक के खिलाफ उपरोक्त मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। विपक्षी पार्टी संख्या 2/सूचनाकर्ता आवेदक के खिलाफ अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते को देखते हुए, यदि अभियोजन को जारी रहने दिया जाता है तो कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

6. दूसरी ओर, विपक्षी पार्टी संख्या 2/ सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. सर्वोच्च न्यायालय ने **बी.एस. जोशी (उपरोक्त)** मामले में यह माना है कि यदि विवाद पक्षों के बीच समझौते/समझौते के तहत समाप्त हो गया है, तो आईपीसी की धारा 320 के तहत किसी भी बात के होते हुए भी, पक्षों के बीच दर्ज समझौते के मद्देनजर, इस न्यायालय के लिए आईपीसी की धारा 498-ए आदि की कार्यवाही को अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत रद्द करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने **ज्ञान सिंह (उपरोक्त)** मामले में पैरा-61 में कहा है कि;

किसी आपराधिक कार्यवाही, एफआईआर या परिवाद को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग, संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों के निस्तारण के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से भिन्न और अलग है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और इस पर कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग इसमें निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे: (i) न्याय के उद्देश्यों की रक्षा करना या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही, परिवाद या एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निस्तारण कर लिया हो, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई भी निर्धारित श्रेणी सीमित नहीं है। हालाँकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों या लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर रहते हुए किए गए अपराधों आदि के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई भी समझौता, ऐसे अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं बन सकता। लेकिन जिन आपराधिक मामलों में अधिकांशतः दीवानी पक्ष का पलड़ा भारी होता है, उन्हें रद्द करने के उद्देश्य से अलग माना जाता है, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न अपराध, या दहेज, संपत्ति या पारिवारिक विवादों से संबंधित वैवाहिक अपराध, जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की होती है और पक्षों ने अपना पूरा विवाद सुलझा लिया होता है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसकी राय में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से आरोपी को भारी उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसे घोर अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना होगा कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित या न्याय के हित के विरुद्ध होगा, या क्या पीड़ित और अपराधी के बीच समझौता होने के बावजूद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग होगा, और क्या न्याय



के उद्देश्यों की रक्षा के लिए आपराधिक मामले को समाप्त करना उचित है। यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।

8. राम गोपाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 1488/2012) मामले में 29.9.2021 को दिए गए फैसले में, जो (2022) 118 एसीसी 318 में प्रकाशित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि भले ही अपराध समझौता योग्य न हों, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपराधों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और पीड़ित ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए स्वेच्छा से सहमति दे दी है, कार्यवाही को रद्द कर सकता है। ऐसा निर्णय लेते हुए, यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय निर्विवाद रूप से किसी व्यक्ति विशेष से परे अपराधों के परिणामी प्रभावों का मूल्यांकन कर सकता है और उसके बाद एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जघन्य अपराध, भले ही बिना दंड के रह जाए, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन के मूल उद्देश्य को प्रभावित या पंगु न करे। उक्त निर्णय के पैरा 14 में, सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है: -

“14. दूसरे शब्दों में, गंभीर अपराध या ऐसे अपराध जिनमें नैतिक पतन शामिल हो या जिनका समाज के सामाजिक और नैतिक ताने-बाने पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो या जिनमें सार्वजनिक नीति से संबंधित मामले शामिल हों, उन्हें केवल दो व्यक्तियों या समूहों के बीच ही नहीं निपटाया जा सकता, क्योंकि ऐसे अपराधों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। दंड प्रक्रिया के माध्यम से जघन्य अपराधों को मिटाना न केवल समाज को गलत संदेश देगा बल्कि इससे बेईमान आदतन या पेशेवर अपराधियों को भी अनुचित लाभ मिल सकता है, जो दबाव, रिश्वत, सामाजिक बहिष्कार, धूस या अन्य संदिग्ध तरीकों से 'समझौता' करवा सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही कही गई है कि "यदि बचा जा सकता है तो किसी भी दोषी व्यक्ति को बचने न दिया जाए।"

9. मैंने अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का अध्ययन किया है और मेरा मानना है कि ये ऐसे मामले नहीं हैं जो अपवादित श्रेणी में आते हों, जिनमें कार्यवाही रद्द करने और अभियुक्तों को बिना दंड दिए जाने से समाज पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। चूंकि पक्षों ने अपना विवाद सुलझा लिया है, इसलिए आवेदकों को दोषी ठहराए जाने की कोई संभावना नहीं



हैं। वास्तव में, आवेदकों के विरुद्ध आरोप स्वतः ही वापस ले लिए गए हैं और त्याग दिए गए हैं, इसलिए न्याय के हित में कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

10. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षों ने समझौता कर लिया है और अपने वास्तविक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, जिसकी पुष्टि संबंधित न्यायालय ने भी की है, जिसकी रिपोर्ट की प्रति अभिलेख में मौजूद है। इस प्रकार, यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2, जो मुकदमे की कार्यवाही जारी रहने पर मुख्य अभियोजन गवाह होगा, ने मुकदमे में प्रतिवादी बनने का अपना स्पष्ट इरादा घोषित कर दिया है। इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि गुण-दोष और सत्य को अलग रखते हुए, यदि मुकदमे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो विद्वान अवर न्यायालय द्वारा बहुमूल्य समय की काफी हद तक बर्बादी हो सकती है।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पक्षों के बीच हुए समझौते के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए और इन सभी कारकों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, पक्षों के बीच हुए समझौते को स्वीकार किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एससीसी 303, नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपरोक्त), योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य (उपरोक्त) और परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (उपरोक्त) के मामलों में निर्धारित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाही को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

12. उपरोक्त के मद्देनजर, वाद संख्या 15977/2021 (राज्य बनाम अतुल सिंह), मुकदमा अपराध संख्या 103/2020 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465 और सूचना प्रादुर्गमिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत पुलिस स्टेशन मेहदावल, जिला संत कबीर नगर में दर्ज किया गया है, जो सिविल जज (एस.डी.) एफ.टी.सी./अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर की न्यायालय में लंबित है, मामले की संपूर्ण कार्यवाही, आवेदक के विरुद्ध एतद्वारा रद्द की जाती है।

13. तदनुसार, बीएनएसएस धारा 528 के तहत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,)

17 मार्च, 2026

राधिका